न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 83/16

भीमराज आत्मज रूपा जी आयु 50 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक : 17.05.2017

राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादीगण की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार वादी ग्राम जगपुरा में निवास करता है और आराजी खसरा नं0 70/268 रकबा 2.92 है0 भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा पर स्थित है। उक्त भूमि पर वादी काफी समय से पत्थर कोट करके उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नं0 70/268 रकबा 2.92 है0 भूमि पर वादी के पिता काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उनकी मृत्यु के पहले व बाद में स्वयं उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि पर बिजली भी लगा रखी है और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी को तहसीलदार साहब लाडपुरा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं सपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी किये गये थे और उक्त भूमि पर तावान की राशि भी समय समय पर वादी जमा करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को आवंटन किये जाने बाबत् वादी के पिता ने आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे। कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता ने पुनः उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में दिनांक 18.05.2000 को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें वादी ने उक्त भूमि को यूआईटी में हस्तांतरित होने से पूर्व आवंटन किये जाने का निवेदन किया था। उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है और उक्त भूमि काबिज काश्त होने के कारण प्रार्थी को आवंटन सूची में आवंटन नहीं किया गया है, इसके पश्चात् उक्त भूमि वर्ष 2014 में नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हो चुकी है, इसलिये प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास को बनाया गया है। वाद का कारण प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में हस्तांतरित होने के कारण व उक्त भूमि यूआईटी में हस्तांतरित होने के कारण तथा यूआईटी के अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि पर न्यास की बताकर वादी को कई वर्षों से काबिज भूमि से बेदखल करने पर उतारू होने के कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पडा है। वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षों वर्ष 1993 से काबिज काश्त है और उक्त भूमि से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है, उक्त भूमि के अलावा वादी के पास कोई भूमि नहीं है और उक्त भूमि को वादी ने काबिज काश्त बनाने में काफी समय व पैसा भी उक्त आराजी को उपजाऊ करने के लिये खर्च किया गया है और उक्त भूमि पर वादी के द्वारा पेड व पौधें भी लगाये गये है, जो वादी के परिवार के जीविकोपार्जन का साधन हैं, इसके साथ ही वादी ने उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी लगाया गया है। उक्त भूमि का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी व 98 नगर विकास न्यास, अधिनियम के तहत नोटिस मियादी 2 माह का दिया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से 2 माह का

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर
केम्प आलनिया

नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इस हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से वाद प्रस्तुत करने के अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा नं0 70/268 रकबा 2.92 है0 वाके ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का आलनिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा की भूमि का वादी के कब्जे काश्त के आधार पर आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे एवं यूआईटी को पाबंद करे किवह उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल न करें एंव जो भी न्यायोचित सहायता हो, वह वादी को दिलाये जाने की कृपा करें।

वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये –

1	ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा के खाता नं0 नया 196 की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073
2	नकल खसरा परिवर्तन ग्राम उम्मेदपुरा संवत् 2049 वर्ष 1992–03, संवत् 2050 वर्ष 1993–94, संवत् 2060 वर्ष 2003–04, संवत् 2058 वर्ष 2001–02, 2059 वर्ष 2002–03, 2061 वर्ष 2004–05, 2062 वर्ष 2005–06 2064 वर्ष 2007–08, 2065 वर्ष 2008–09, 2067 वर्ष 2010–11, 2068 वर्ष 2011–12, 2069 वर्ष 2012–13 आराजी खसरा नं0 70/268,
3	तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा जारी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस की फोटोप्रति कुल 3– प्रकरण सं0 834/2002, प्र0सं0 1063/03, प्र0सं0 681/08

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी पर वादी अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नांकित निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.05.2017 को ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आपके द्वार–2017
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–आलनिया

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन अधिकारी कलक्टर
कैम्प आलनिया

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ग्राम पंचायत मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 83 / 16

भीमराज आत्मज रूपा जी आयु 50 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 83/16
निर्णय दिनांक : 17.05.2017

न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 17–05–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर
केम्प आलनिया

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	